



प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-14 मार्च, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रक्षेत्र एवं डीएफएस केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना (रा.यो.) के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-57/प.-2/22/1/4/फार्म-डीएफएस/एल.डी.बी.(पूंजीगत), दिनांक-05.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के चिन्हित प्रक्षेत्रों एवं अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर कुल 11 परिषदीय विपणन केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-102-पशु तथा भैंस विकास-06-प्रक्षेत्र एवं डीएफएस केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना (रा.यो.) के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू०-139.15 लाख (रूपये एक करोड़ उन्तालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकानुसार उपर्युक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकतानुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
3. प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ का होगा।
 8. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टताएँ एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
 10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
 11. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
 12. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
 13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,39,15,000 (रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 4403001020600** प्रक्षेत्र एवं डीएफएस केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना (राज्य योजना) **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पुसं0-46/2026/518(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(20)/2022, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र0।
- 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।